

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया**

**अल्प कालीन निविदा सूचना-01/अधि0अभि0/2018-19**

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 04.06.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक जिलाधिकारी बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05.06.2018 को अपराह्न 12.00 बजे कलेक्ट्रेट बलिया के समागार में अघोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांक 01.06.2018 से दिनांक 02.06.2018 सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा बलिया (बैंक अवधि में) अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, आजमगढ़, सिंचाई खण्ड, मऊ एवं सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के कार्यालय में (1) पंजीकरण (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), (3) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) एवं संबंधित स्वयं घोषणा पत्र (IDT-3) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियाँ ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर किया हुआ हो, भी जमा करने के पश्चात निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

घरोहर धनराशि जो एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति (जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्गत हो, बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी) के रूप में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अघोहस्ताक्षरी को होगा।


प्रत्येक निविदादाता को रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना अनिवार्य होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी, इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर घरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार आयकर, जी0यस0टी0 स्टैम्प, रायल्टी, लेबर सेस, इत्यादि देनी होगी। अनुबन्ध के समय आवश्यक जमानत धनराशि, स्टैम्प ड्यूटी अलग से देय होगा। निविदा मूल्य के साथ नियमानुसार वैट चार्ज एवं स्टेशनरी चार्ज अतिरिक्त देय होगा। बैंक से कय की स्थिति में बैंक चार्ज रू0 50.00 मात्र अतिरिक्त देय होगा।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा (घनमीटर में)	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू० में)	घरोहर धनराशि (लाख रू० में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये में+टी0टी0 + स्टेशनरी चार्ज	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चन्दाताल ड्रेन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 3.000 तक सिल्ट-सफाई का कार्य, रफ ड्रेसिंग सहित।	3200.00	2.33	0.24	10 दिवस	75+14+500	सी य उच्च श्रेणी
2.	सुहेलाताल ड्रेन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 9.000 तक सिल्ट-सफाई का कार्य, रफ ड्रेसिंग सहित।	3736.00	2.72	0.28	10 दिवस	150+27+500	सी य उच्च श्रेणी
3.	भागीपुर ड्रेन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 4.000 तक सिल्ट-सफाई का कार्य, रफ ड्रेसिंग सहित।	3864.00	2.81	0.29	10 दिवस	150+ 27+500	सी य उच्च श्रेणी
4.	नरांव ड्रेन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 10.600 तक सिल्ट-सफाई का कार्य, रफ ड्रेसिंग सहित।	9190.00	6.69	0.67	10 दिवस	225+ 41+500	सी य उच्च श्रेणी

नियम एवं शर्तें—

1. एक निविदादाता केवल एक कार्य का एक ही निविदा क्रय कर सकेगा एवं एक ही निविदा डाल सकेगा।
2. यह निविदा सूचना वेब साइट (<http://upgov.up.nic.infotech>) तथा सिंचाई विभाग की वेब साइट ([www.idup.gov.in](http://www.idup.gov.in))([www.irrigation.up.nic.in](http://www.irrigation.up.nic.in)) से भी डाउन लोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीय बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में (ड्राफ्ट मुख्य शाखा का ही मान्य होगा) निविदा प्रपत्र के साथ IDT-1, IDT-2, IDT-3, व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राईग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईग आदि वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।
3. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
4. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
5. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालते हैं तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या घमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से कय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सीलड निविदा को इस प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व—निविदा बाक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के कारण कोई निविदा बिलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
8. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
9. चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण-पत्र व स्वघोषणा प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता से IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक-ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं, इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
11. किसी भी दशा में ठेकेदार का विभागीय अवशेष जमानत धनराशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. फर्म द्वारा निविदा देने पर पावर ऑफ एटर्नी/पार्टनरशीप डीड की प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. विभागीय जॉच अथवा प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा निर्धारित कटौती ठेकेदार को मान्य होगी।
14. सर्रात निविदा मान्य नहीं होगी।
15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक या समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. अनुबन्ध करते समय कार्य की मात्रा को आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा तक प्राक्कलन के अनुसार कम या अधिक करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
17. निविदा प्रपत्र में कटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. निविदादाता द्वारा पेन एवं जी०एस०टी० नम्बर की छायाप्रति निविदा के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा।
19. कार्य के ड्राइंग व विशिष्टया अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के कार्यालय में कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
20. सभी कार्य पोकलेन/जे०सी०बी० मशीन द्वारा कराया जायेगा।
21. चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र निविदा खुलने की तिथि को दो वर्ष के अन्दर की तिथि में निर्गत होनी चाहिए।
22. अनुबन्ध करते समय जमानत धनराशि पर नियमानुसार निर्धारित मूल्य नान जुडिशियल स्टैम्प अनुबन्ध की तिथि से 6 माह से पूर्व का न हो के रूप में लिया जायेगा।
23. निविदादाता को निविदा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के तीन दिवस के अन्दर अनुबन्ध कराना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा निरस्त करके धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
24. सफाई का कार्य ड्रेन/नाला सुख जाने के उपरान्त कराया जायेगा।
25. शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टीसी०/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दर कम देने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ, माननीय हरित न्यायाधिकरण तथा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हो का अनुपालन ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जायेगा।
27. आयकर, मूल्य संबंधित कर, जी०एस०टी०, लेबर सेस एवं रायल्टी की धनराशि ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार जमा करनी होगी।
28. कार्य को करने के इच्छुक ठेकेदार/फर्म द्वारा विगत पंच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50% तक की लागत का समान प्रकृति का न्यूनतम एक कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हो उनके द्वारा कार्य कराये जाने का अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
29. अनुबन्ध गठित होने पर ठेकेदार/फर्म को श्रमायुक्त कार्यालय से लेबर सेस से संबंधित एजिस्ट्रेशन विभाग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
30. निविदा डालने से पूर्व निविदा दाता/फर्म कार्यस्थल का भली-भाति निरीक्षण अवश्य कर लें। अन्यथा की स्थिति में निविदा दाता/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
31. ठेकेदार/फर्म द्वारा दरें अंकों एवं शब्दों में दी जाएगी। अंतर की स्थिति में न्यूनतम दर ही मान्य होगी।
32. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर निविदा खोली जायेगी।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया